उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या–1438/v–2–आ0–2016–121(आ0)/2015
देहरादून : दिनांक 18 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 55 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (कियान्वयन) नियम, 2015 में अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है,

उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (कियान्वयन) (संशोधन) नियम, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (कियान्वयन) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4(2)(ग) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (कियान्वयन) नियम, 2015 जिसें यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, के नियम 4 के उपनियम (2) के खण्ड (ग) को नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रस्तावित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ग) यदि किसी मामले में स्वामी/व्यक्ति संकमणीय अधिकारों के साथ 250 वर्गमीटर से कम भूमि धारित करता हो और भूमि संयोजन योजना के अधीन उसे अभ्यर्पित करना चाहता हो, तो वह लागू सर्किल दरों पर आगणित होने वाले अभ्यर्पित भूमि के मूल्य के बराबर आर्थिक क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा।	"(ग) वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना दर में (कियान्वयन) नियम, 2015 में मात्र 250 वर्गमीटर भूमि से न्यून भूमि धारित व्यक्तियों को भी आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि का निर्धारण नियम 4 के उपनियम (12) में उल्लिखित समिति द्वारा किया जायेगा।"

नियम 4 में उपनियम (12) का अंतःस्थापन

3 मूल नियमावली में नियम 4 के उपनियम (11) के बाद एक नया उपनियम (12) निम्नवत अंतस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(12) ऐसे समस्त भू–धारक जो कि विकसित भूमि विकल्प नहीं चाहते हैं और आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं, के लिए निम्नलिखित व्यवस्था होगी, अर्थात –

भू–संयोजन हेतु धनराशि के निर्धारण के लिए सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। समिति में मुख्य प्रशासक, राज्य विकास प्राधिकरण अथवा सम्बन्धित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा

जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जो कि अपर जिलाधिकारी स्तर से निम्न न हो, सम्मिलित होगें, जिनके द्वारा गुण–दोष का आंकलन करते हुए मूल्य निर्धारण किया जायेगा। भू–संयोजन हेतु सर्किल रेट अथवा अधिकतम ऐसी सीमा तक, जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार देय हो, के मध्य मूल्य निर्धारण स्वच्छ एवं पारदर्शी रीति से किया जायेगा।"

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– 1438/V–2–आ0–2016–121(आ0)/2015– तददिनांक।

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित की कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–4 में प्रकाशित कराकर उसकी 20 प्रतियां आवास विभाग में तथा 20 प्रतियां उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या– 1438(2)/V–2–आ0–2016–121(आ0)/2015– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग को उनके पत्र संख्या–30.09.2016 के क्रम में।
2– आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
6– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
9– निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
10– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.....1438.....-v-2-Awas-2016-60(Awas)/2015 Dated.....18..... November, 2016

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
AWAS ANUBHAG-2
No.....1438/v-2-Awas-2016-121(A)/2015
DEHRADUN, DATED 18 November, 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers concern by clause (c) of sub-section (2) of section 55 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (as applicable in the State of Uttarakhand) readwith section 21 of the General Clauses Act, 1904 (Act no 01 of 1904), the Governor is pleased to made further amendment in the Uttarkhand Land Pooling Scheme (Implementation) Rules, 2015 as follows;

The Uttarkhand Land Pooling Scheme (Implementation) (Amendment) Rules,2016)

Short title and commencement **1.** (1) These Rules may be called the Uttarakhand Land Pooling Scheme (Implementation) (Amendment)Rules, 2016.

(2) It shall come into force atonce.

Amendment of 4(2)(c) **2.** In the Uttarkhand Land Pooling Scheme (Implementation) Rules, 2015 hereinafter referred to as Principle rules, the existing clause(c) of sub-rule (2) of rule 4 as set out in column 1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column – 1 **Existing Rules**	**Column – 2** **Rule hereby substituted**
(c) In case the owner/person having the land holding with transferable rights, has a holding less than 250 SqMtrs and wants to surrender the same under the LPS, then he will be intitled to monerary, compensation equivalent to the cost of the Surrendered land to be calculated at the circle rate applicable.	'(c) The amount for monetary compensation to the persons holding less than 250 SqMtrs of land in the existing the Uttrakhand Land Pooling Scheme (Implementation) Rules, 2015 as applicable shall be fixed by the Committee mentioned in sub-rule (12) of rule 4.